कैबिनेट मंत्री ने किया ग्राम कुकावट में डी पी का उद्घाटन

अलीराजपुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गांव में विकास को लेकर लगातार कार्य किया जा रहे हैं शुरू से ही हमारी सरकार का मानना था कि भारत गांव में बसता है ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पानी सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य किया जाना चाहिए और इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार काम कर रही हैं।

केंद्र मैं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगातार योजनाएं बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि गांव भी विकास के मुख्य धारा में जूड़ सके वही हमारे द्वारा फलिया फलिया स्तर पर विद्युत व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को खेती किसानी में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े उक्त बात कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने ग्राम कुकावट के कुम्हार फलिया मे डी पी उद्घाटन के अवसर पर कही।

लूट एवं डकैती के मामलों में फरार 5,000 के इनामी स्थाई वारंटी आरोपी को किया गया गिरफ्तार

अलीराजपुर। जिला अलीराजपुर में आपराधिक प्रकरणों के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास के निर्देशन में लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जोबट श्री नीरज नामदेव के कुशल मार्गदर्शन में थाना जोबट की टीम द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है।

थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक विजय वास्कले के नेतृत्व में पांच हज़ार रुपये के इनामी व स्थाई वारंटी आरोपी भाया उर्फ कैलाश पिता कागडिया (जाति भील), निवासी मोटला फलिया, उंडारी, थाना जोबट को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी वर्ष 2021 से फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध लूट एवं डकैती के दो गंभीर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर द्वारा ?5,000 के नकद इनाम की घोषणा पूर्व में की गई थी।

गिरफतार आरोपी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का विवरण- प्रकरण क्रमांक 06/2019, थाना जोबट दिनांक 02.01.2019 को फरियादी राकेश पिता मकनसिंह पाल्या, निवासी ग्राम उमरी, जिला झाबुआ, को ग्राम भीलखेड़ी, उंडारी रोड पर आरोपी एवं उसके अन्य साथियों द्वारा रोक कर मोबाइल फोन, ?7000 नकद राशि, जैकेट एवं मोटरसाइकिल आदि लूट लिए गए थे। घटना पर थाना जोबट में धारा 392 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में आरोपी के फरार रहने पर न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा ?2,000 का इनाम घोषित किया गया था तथा एक अन्य प्रकरण क्रमांक 132/2021, थाना जोबट दिनांक 09.03.2021 को रात्रि में आरोपी ने अपने आठ साथियों के साथ मिलकर फरियादी राधू पिता भंगड़ा भूरिया, निवासी ग्राम नेहतड़ा, के घर में घुसकर लड़की भगाने के पुराने विवाद के चलते 8 बकरियां, नकदी एवं एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया। इस गंभीर घटना पर थाना जोबट में धारा 397, 365 भा.दं.वि. तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं 25 एवं 27 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ?3,000 का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी में सक्रिय योगदान-आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही निरीक्षक विजय वास्कले, थाना प्रभारी जोबट, उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप डांगी, आरक्षक मनीष, चेन सिंह एवं गजेन्द्र इन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई त्वरित व सटीक कार्यवाही अत्यंत सराहनीय है, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय से फरार चल रहे एक इनामी अपराधी को गिरफतार करनें में सफलता प्राप्तय हुई है।

पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने कहा अलीराजपुर पुलिस के द्वारा फरार अपराधियों की धरपकड हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी कडी मे थाना जोबट पुलिस टीम के द्वारा 2021 से फरार चल रहे कुख्याति इनामी बदमाश को गिरफतार किया गया है। इसी प्रकार फरार एवं इनामी आरोपियों की धरपकड़ हेतु आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

जलूद पंचायत, भ्रष्टाचार के मकड़जाल में बेबस ग्रामीण, सुस्त जांच से उठते सवाल

मण्डलेश्वर (निप्र) = महेश्वर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जलूद इन दिनों प्रशासनिक निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। पंचायत कार्यालय में कामकाज ठप है और ग्रामीण अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी भटकने को मजबूर हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण पंचायत के पूर्व सचिव कालूसिंह पटेल पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप और उनके द्वारा नए सचिव को प्रभार हस्तांतरित करने में आनाकानी करना बताया जा रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सचिव कालूसिंह पटेल ने अपने कार्यकाल में फर्जी वाउचर और गलत कार्यों के नाम पर लाखों रुपये का गबन किया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला पंचायत सीईओ आकाशसिंह ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 16 अप्रैल को कालूसिंह पटेल को जलूद पंचायत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया था और पड़ोसी ग्राम पंचायत के सचिव परमानन्द पांडे को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी।

जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान का भी आदेश बेअसर

इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान ने भी 24 अप्रैल को कालूसिंह पटेल को पत्र जारी कर जलूद पंचायत का समस्त प्रभार परमानन्द पांडे को तत्काल सौंपकर अवगत कराने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके, आज तक कालूसिंह पटेल द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया है। हालांकि, जिला पंचायत सीईओ आकाशसिंह के स्पष्ट आदेश और जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान के निर्देश के बाद भी 24 दिन बीत जाने के बाद भी कालूसिंह पटेल ने न केवल पंचायत का प्रभार परमानन्द पांडे को नहीं सौंपा है, बल्कि वे अब भी पंचायत के कामकाज में पर्दे के पीछे से दखलअंदाजी कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। पंचायत कार्यालय

नियमित रूप से नहीं खुल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवास योजना जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कालूसिंह पटेल के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की एक विस्तृत शिकायत जिला कलेक्टर भव्या मित्तल और जिला पंचायत सीईओ आकाशसिंह को सौंपी थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने 26 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया था। इस जांच दल में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, संभाग महेश्वर के कार्यपालन यंत्री जगदीश चन्द्र पंवार और मनरेगा जिला पंचायत खरगोन के लेखा अधिकारी मंसाराम कनासे शामिल थे। जांच दल को पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था।

लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि आदेश जारी होने के लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद इस जांच दल के दोनों अधिकारियों ने अब तक कालूसिंह पटेल के खिलाफ लगाए गए 30 गंभीर आरोपों की जांच शुरू तक नहीं की है। न तो उन्होंने शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया है और न ही पंचायत कार्यालय का दौरा कर कोई पड़ताल की है। वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जांच अधिकारियों की यह लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। क्या प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? यह संदेह जलूद के ग्रामीणों के मन में गहराता जा रहा है।

ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम से बेहद निराश और आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि एक तरफ एक भ्रष्ट सचिव खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पंचायत में कामकाज ठप होने से विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं और आम जनता को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ग्रामीण और पंच दीपक सिंह कुशवाह ने बताया कि पूर्व सचिव कालूसिंह पटेल द्वारा प्रभारी सचिव परमानन्द पांडे को आज तक वित्तीय और कार्यालय का कोई रिकॉर्ड विधिवत रूप से नहीं सौंपा गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की जांच में हो रही देरी का फायदा उठाकर अभी भी अधूरे काम करवाए जा रहे हैं, ताकि जांच में अनियमितताओं को छुपाया जा सके। कुशवाह ने यह भी आशंका जताई कि कालूसिंह पटेल जलूद में स्थायी रूप से स्थानांतरण करवाने के लिए प्रयासरत हैं और यदि उनकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच नहीं होती और कालूसिंह पटेल को पुनः पदस्थापित किया जाता है, तो वे न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे।

एक अन्य ग्रामीण मोनू ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा जनपद पंचायत सीईओ को जलूद पंचायत के कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हटाए जाने के बावजूद पूर्व सचिव अभी भी गलत कार्यों पर लीपापोती कर रहा है, जो विभाग की नरमी का नतीजा है। पंच सेलेन्द्र सेंगर ने कहा कि जांच दल ने शिकायतकर्ताओं से आज तक कोई संपर्क नहीं किया है। जिला पंचायत सीईओ ने 26 अप्रैल को आदेश जारी कर जांच टीम को पांच दिन में जांच करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जांच शुरू नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी देरी क्यों हो रही है और कहीं यह कालूसिंह पटेल को सबूत मिटाने का समय तो नहीं दिया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ आकाशसिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत जलूद के सचिव से अतिरिक्त प्रभार लेकर पास की पंचायत के सचिव को तत्काल सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और यदि अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है तो वे इसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जलूद पंचायत की जांच के लिए दल गठित कर दिया गया है और शीघ्र ही जांच पूरी कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वही इस सम्बंध में हमारे प्रतिनिधि ने तत्कालीन सचिव कालूसिंह पटेल से उनके द्वारा पंचायत के प्रभार में हो रही देरी के सम्बंध में जानकारी चाही तो पहले तो उन्होंने समाचार नही लगाने का निवेदन किया जब हमारे प्रतिनिधि ने चार्ज न देने की वजह पूछी तो उन्होंने दो मिनिट में बताने का कह कर फोन कट कर दिया व बाद में फोन रिसीव नही किया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन और पंचायत विभाग कब इस गंभीर मामले पर ठोस कार्रवाई करते हैं और जलूद पंचायत के ग्रामीणों को इस प्रशासनिक अराजकता से मुक्ति दिलाते हैं। क्या वरिष्ठ अधिकारी अपनी पकड़ ढीली कर चुके हैं, या वे जानबूझकर इस मामले में देरी कर रहे हैं? यह सवाल जलूद के हर परेशान नागरिक के मन में घूम रहा है।

बोरी पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता

अलीराजपुर। जिला अलीराजपुर में आपराधिक प्रकरणों के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास के निर्देशन में लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जोबट श्री नीरज नामदेव के कुशल मार्गदर्शन में थाना बोरी की टीम द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है।

लूट के फरार 10,000 के इनामी फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार

थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक नेपालसिंह चौहान के नेतृत्व में दस हज़ार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफतार किया गया है। थाना बोरी क्षेत्रान्तार्गत दिनांक 23.10.2024 को थाना बोरी क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा के पास फरियादी श्री जगदीश राठौड़ निवासी रानापुर से अज्ञात 06-07 बदमाशों द्वारा नगदी ?5,60,000 एवं दस्तावेज लूट लिए गए थे तथा विरोध करने पर फरियादी के साथ पत्थरों से मारपीट कर चोट पहुँचाई गई थी। इस संबंध में थाना बोरी में अपराध क्रमांक 272/2024, धारा 310(2), 324(2) बी.एन.एस. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा घटना के 06 आरोपियों को घटना के 24 घण्टेंथ के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था, उक्तच घटना में 01 आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर द्वारा फरार आरोपी अंतरसिंह पिता खुरपसिंह मसानिया भील, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम गुराड़िया, थाना टांडा की गिरफ्तारी हेतु ?10,000/- के ईनाम की घोषणा की गई थी। दिनांक 08.05.2025 को थाना बोरी पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त ईनामी आरोपी क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बोरी निरीक्षक नेपालसिंह व उनकी टीम के द्वारा द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर आरोपी अंतरसिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई।

गिरफ्तारी में सक्रिय योगदान-आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थाना प्रभारी बोरी निरीक्षक नेपालसिंह, उनि जानुसिंह गरवाल, सउनि अजय भीण्डे, प्रआर आजाद, प्रआर पारस एवं प्रआर अमरसिंह इन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई त्वरित व सटीक कार्यवाही अत्यंत सराहनीय है, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय से फरार चल रहे एक इनामी अपराधी को गिरफतार करनें में सफलता प्राप्तह हुई है। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने कहा अलीराजपुर पुलिस के द्वारा फरार अपराधियों की धरपकड हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी कडी मे थाना बोरी पुलिस टीम के द्वारा 2024 से फरार चल रहे लूट के इनामी बदमाश को गिरफतार किया गया है। इसी प्रकार फरार एवं इनामी आरोपियों की धरपकड़ हेतु आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

भक्तों की सुविधा के लिए बन रहा भक्त निवास को होटल नहीं बनाने के लिए ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने जताया विरोध

ओंकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए भक्त निवास बनाकर सुविधा देने की तैयारी की जा रही है जिस होटल का रूप दिए जाने के प्रस्ताव का ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने किया विरोध श्रीजी मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लगभग एक करोड़ की लागत से बने भवन जो स्व = लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड के पास बने भक्त निवास को अन्य संस्था को होटल के लिए देने की तैयारी की जा रही है। जिसका ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने विरोध करते हुए विजय जैन .प्रभाकर केल्हारकर . प्रदीप ठाकुर . प नवल किशोर शर्मा धनश्याम माहिल्या .ने बताया कि तत्कालिन कलेक्टर विशेष गड़पाले एवं मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों से भक्तों की सुविधा के लिए भक्तों के पैसे से बनकर तैयार करवाया भक्त निवास को मनमानी पुर्ण निर्णय लेकर होटल बनाने का कार्य किया जा रहा है जो निंदनिय है भक्तों की सुविधा में उपयोग किया जाना चाहिए ना की होटल के रूप में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह ने बताया कि 8 मई को छुई बैठक में यहमुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव लेकर एमटीसी को होटल के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव लिया गया है समिति ने मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को भी इस मामले को लेकर पत्र भेजने की बात कहीं। जंग बहादुर ने कहा ट्रस्टीयो को इस बात का पता नहीं था पर मेरे द्वारा जनहित में इसका विरोध किया गया है।

ग्राम बिलझार में पुलिस द्वारा खाटला बैठक आयोजित

अलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में अलीराजपुर जिले के आदिवासी अंचलों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, साइबर सुरक्षा तथा जन-जागरूकता हेतु ᳵखाटला बैठकᳵ जैसे लोकसंवादी माध्यमों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है।

खाटला बैठक के माध्यम से ग्रामीणों को सामाजिक कुरीतियों, साइबर अपराध एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक

इसी क्रम में दिनांक 11 मई 2025 को थाना आजादनगर अंतर्गत ग्राम बिलझर में खाटला बैठक का आयोजन किया गया।

खाटला बैठक थाना प्रभारी निरीक्षक श्री एस.आर. तरोले के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणजन, महिला-पुरुष, जनप्रतिनिधि एवं समाज के अन्य सम्माननीय नागरिक उपस्थित हुए। बैठक का मूल उद्देश्य ग्रामीण समाज को उन बुराइयों एवं अपराधों के प्रति जागरूक करना था, जो परंपरा, अज्ञानता या तकनीकी अशिक्षा के कारण अब भी समाज में मौजूद हैं।

खाटला बैठक के मुख्य बिंदु एवं संदेश-

नशा मुक्ति एवं नैतिक जागरूकता- श्री तरोले ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे शराब, तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये न केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक विघटन का कारण भी बनते हैं।

महिला सम्मान एवं बाल संरक्षण-समाज में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, बाल विवाह के खिलाफ चेतना और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश प्रमुखता से दिया गया। सामाजिक कार्यक्रमों में अनुशासन-उत्सवों एवं सामाजिक आयोजनों में डीजे, शराब आदि पर अनावश्यक व्यय की आलोचना करते हुए अपील की गई कि ग्रामीण ऐसे खर्चों से बचें और सादगीपूर्ण व मर्यादित आयोजन करें। साइबर सुरक्षा एवं मोबाइल उपयोग-वर्तमान डिजिटल युग में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फर्जी ऐप्स, साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। निरीक्षक श्री तरोले ने ग्रामीणों को सावधान रहने, सत्यापित ऐप्लिकेशन के उपयोग एवं संदेहास्पद लिंक/कॉल से बचने की सलाह दी।

अभिभावकों को विशेष रूप से समझाया गया कि वे अपने बच्चों के मोबाइल उपयोग, सोशल मीडिया गतिविधियों और दोस्तों के साथ उनके व्यवहार पर सतत निगरानी रखें। अपराध रोकथाम में जन सहभागिता-किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि, संभावित अपराध या अपराधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके। सरकारी जनकल्याण योजनाओं की जानकारी-बैठक में मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं, जैसे ङ्क मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आदि की भी जानकारी साझा की गई, जिससे ग्रामीण सीधे लाभ ले सकें।

युवा वर्ग की दिशा निर्धारण पर विशेष बल- वर्तमान में कुछ युवा मोबाइल की लत, नशा एवं दोपहिया वाहन के अंधाधुंध प्रयोग के चलते अपराधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे अभिभावकों को बाद में कानूनी एवं सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है। माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी संगत जानें और समय पर संवाद के माध्यम से उन्हें समझाये। जनभागीदारी से अपराध नियंत्रण-सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया कि यदि गांव या आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि, शंका योग्य व्यक्ति, या अपराधिक सूचना हो, तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। समय पर मिली सूचना से अपराध की रोकथाम व त्वरित निराकरण संभव होता है।

खाटला बैठक के अंत मे थाना प्रभारी श्री तरोले ने उपस्थित ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया कि पुलिस आमजन की सेवा व सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। समाज में शांति, सुरक्षा एवं सद्भाव कायम रखने के लिए पुलिस व जनता के बीच सद्भावपूर्ण सहयोग अत्यंत आवश्यक है।